न्या० रेलवे न्या० [illegible]

Ref. 1-CM 75/23

(Net Rly Cr. Case 287/23)

04.06.23 सूचिका अनुसार है
अधिवक्ता से लिखित
दि० प्रार्थना पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई
समीक्षा किया गया है सूचिका को निरस्त करने
किया गया। किंतु सूचिका की अपना पद
समाप्त करने प्रार्थना पत्र) हुई लिखावट
से प्रार्थना पत्र के प्रकाश हुआ अतिरिक्त
कार्यवाही का आदेश जारी प्रति नहीं
होगा क्योंकि अंतिम बहस नहीं
जाता है इसका कारण की कार्यवाही बंद
किया जाता है

कार्यालय निर्णयानुसार अग्रिम
कार्यवाही आगे के लिए

न्यायाधीश

J 04.06